



आवेदन की तिथि- 16/12/14  
 अधिसूचना तिथि- 17/12/14  
 निर्गत तिथि- 18/12/14

**अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद**

दाखिल खारिज मु० संख्या.....1186 ( I ) / 2014-15

**(1) आदेश फलक**

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
25/11/14	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती. <u>श्री. श्रीमती. आर. क. कुमारी</u>.....            पितृ/पति.. श्री. सिद्धेश. कुमारी..... साकिम... <u>श्री. श्रीमती. मोहनलाल</u>.....            धाना... <u>श्री. श्रीमती. कुमारी</u>..... जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है।            आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा... <u>मौजा. कुमारी</u>.....            मौजा नं०... <u>53</u>..... खाता नं०... <u>18</u>..... प्लॉट नं०... <u>3.54</u>.....            रकबा... <u>3.35 बी.गा. 2.5</u>.....            दलील सं०... <u>1223</u>..... दिनांक... <u>13/12/13</u>..... के            द्वारा श्री/श्रीमती... <u>श्री. श्रीमती. कुमारी</u>..... से            प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक... <u>9/12/14</u>..... को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p>
9/12/14	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भूमि रैयती खाते की है।</li> <li>जमाबंदी सं०... <u>1543</u>..... में विक्रेता को <u>श्री. श्रीमती. गोसायन</u> के नाम लगाने से रद्दीद कट रहा है।</li> <li>आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्ति का प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।</li> <li>निबंधन धनबाद/ कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की प्रसि को कोषागार में जमा कर दलील को वैध कर लिया गया है।</li> <li>प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।</li> </ol> <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को... <u>श्री. श्रीमती. कुमारी</u>..... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p>

मरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया।  
 प्रतिलिपिक / टंकक

शुद्धि पत्र प्राप्त किया  
 18/12/14  
 धनबाद



स्ट में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रियता) का नामान्तरण (प्राखिल-धारिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

जिला: चित्तौड़गढ़ अमृतसर, चित्तौड़गढ़, साकेल/अंचल, चित्तौड़गढ़, हल्का: 11, इस्टेट का नाम: राजपुर

आवेदन की तिथि- 16/12/14  
 अधिसूचना तिथि- 18/12/14  
 निर्गत तिथि- 18/12/14

क्रम संख्या	पंजी संख्या 27 में नामान्तर केस संख्या	गाँव	धाना और धाना संख्या	नामान्तरण और सम्बन्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला अधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री, दान विनियम, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	अभ्युक्ति
1	1186 J/2014-15	हरपुरिया	नामांक 53	18	18/12/14	18/12/14	श्री प्रसन्नी नाशगल देव प्रदत्त चन्नावाड		
2							श्री अमरी अंधु कुमारी पत्नी - श्री महेश कुमार झा - जमुन्नी मोहनदास चन्नावाड		

शापांक संख्या: 1186 J/2014-15  
 कर्मचारी हल्का सं.: 1186 J/2014-15  
 को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।



मं द्वारा फोटोकॉपी किया गया।  
 प्रतिलिपिक / टंकक

18/12/14  
 प्रधान सहायक  
 अमृतसर